**Hkkjr ljdkj**

**dks;yk ea=ky;**

**jkT; lHkk**

**rkjkafdr iz'u la[;k 284**

**ftldk mRrj 28 tqykbZ] 2014 dks fn;k tkuk gS**

**dksy bf.M;k fyfeVsM ds izpkyuksa esa vdk;Zdq'kyrk**

**¯284 Jh I;kjheksgu egkik= %**

D;k **dks;yk ea=h** ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k dksy bf.M;k fyñ ds vius izpkyuksa esa dfFkr vdk;Zdq'kyrk ds lacaèk esa v/;;u djk;s x, gSa(

¼[k½ ;fn gka] rks buds fu"d"kZ vkSj flQkfj'ksa D;k&D;k gSa( vkSj

¼x½ D;k dksy bafM;k fyfeVsM dh dks;yk [kkuksa vkSj futh vkc) dks;yk [kkuksa ds izpkyuksa ds lacaèk esa dksbZ rqyukRed v/;;u djk;s x, gSa vkSj ;fn gka] rks buds fu"d"kZ vkSj flQkfj'ksa D;k&D;k gSa\

**उत्‍तर**

**कोयला, विद्युत, एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री पीयूष गोयल)**

**(क) से (x) :** एक विवरण- पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

**कोल इण्‍डिया लिमिटेड के प्रचालनों में अकार्यकुशलता के संबंध में श्री प्‍यारीमोहन महापात्र द्वारा दिनांक 28.07.2014 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न सं. 284 के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण – पत्र।**

**(क) :** कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने बताया है कि कोयला उत्‍पादन और अन्‍य सम्‍बद्ध प्रचालनों में सुधार करने के लिए नियमित अध्‍ययन किए जाते है। इन अध्‍ययनों का उद्देश्‍य प्रचालन की मौजूदा स्‍थिति की जानकारी लेना और सुधार की गुंजाइश निर्धारित करना है। बाह्य अभिकरणों की सहायता से सीआईएल में कुछ अध्‍ययन किए गए / कराए गए हैं। मैसर्स केपीएमजी को **विजन दस्‍तावेज 2020** तैयार करने के लिए नियुक्‍त किया गया था तथा वर्तमान स्‍थिति का विश्‍लेषण करने एवं दीर्घावधि लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने के लिए गुंजाइश में सुधार करने का पता लगाने की सलाह दी गई थी। तदनुसार, मैसर्स केपीएमजी ने 2011 में रिपोर्ट प्रस्‍तुत कर दी। सीआईएल में इस समय प्रचलन में चालू प्रौद्योगिकी के उन्‍नयन तथा आधुनिकीकरण की गुंजाइश की आवश्‍यकता का आकलन करने के लिए इसी अभिकरण द्वारा एक अन्‍य अध्‍ययन किया गया था।

**(ख) :** मैसर्स केपीएमजी द्वारा सीआईएल के कार्पोरेट प्‍लान में किए गए अध्‍ययनों की मुख्‍य सिफारिशें निम्‍नलिखित हैं:-

* नई मेगा परियोजनाओं की निगरानी के लिए मेगा परियोजना कार्यालय (एमपीओ) की स्‍थापना।
* मानव संसाधन परिवर्तन
* सतत सुधार कार्यक्रम (सीआईपी)
* धारणीयता निदेशालय की स्‍थापना
* भूमि अधिग्रहण तथा पर्यावरणीय अनुमोदनों को सुदृढ़ करना
* उपभोक्‍ता प्रतिक्रिया एवं संभार तंत्रों में निवेश
* लिंकेज युक्‍तिकरण
* खरीद परिवर्तन
* ठेकेदार बाजार विकास
* कोयला आयात क्षमताएं

**केपीएमजी-जेटीबी द्वारा “प्रौद्योगिकी उन्‍नयन और सीआईएल की खानों के आधुनिकीकरण” के संबंध में मुख्‍य सिफारिशें निम्‍नलिखित हैं:-**

**ओपनकास्‍ट खानें:-**

* खान आयोजना तथा समय-सीमा को सुदृढ़ बनाना।
* उपकरण उत्‍पादकता में सुधार; उद्यम परिसंपत्‍ति प्रबंधन प्रणाली तथा प्रक्रिया सुधार का उपयोग
* ड्रिल एवं ब्‍लास्‍ट प्रक्रिया का आधुनिकीकरण
* मानिकपुर ओसी के लिए खनन प्रौद्योगिकी के रूप में टेरिस खनन का कार्यान्‍वयन

**भूमिगत खानें:**

बड़े पैमाने पर यांत्रिकीकरण के अवसर (कोयला संरक्षण तथा उत्‍पादन की दर के बीच ट्रेड-आफ, डीजीएमएस से अनुमति, किए जाने वाले अध्‍ययनों और विकसित की जाने वाली अवसंरचना से संबंधित सिफारिशें करते समय किए गए मुख्‍य अनुमान)

* अतिप्रवण डिपिंग सीम खनन के लिए रेज बोरिंग मशीन का उपयोग
* मैन राइडिंग प्रणाली का उपयोग
* संस्‍तर नियंत्रण व्‍यवहारों को सुदृढ़ करना
* मोबाइल बोल्‍टर्स का उपयोग
* गैस ड्रिनेज तथा वातानुकूलन अपग्रेड
* भूमिगत खानों से कोयले की निकासी की अवसंरचना का उन्‍नयन

**अन्‍य सिफारिशें:-**

* खानों की सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाना
* ओपनकास्‍ट खानों का सम्‍मिश्रण
* कार्यशाला तथा प्रयोगशाला के लिए अवसंरचना उन्‍नयन
* सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग में पर्याप्‍त उन्‍नयन
* दस्‍तावेज प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्‍वयन
* लागत कार्यकुशलता के साथ अधिक अन्‍वेषण लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने के लिए ओपन होल ड्रिलिंग तथा भू-भौतिकीय लोगिंग का उन्‍नत उपयोग।
* कौशल का सृजन

**(ग) :** सीआईएल ने कोई तुलनात्‍मक अध्‍ययन नहीं किया है।

**\*\*\*\*\***